"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 124] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016—— चैत्र 12, शक 1938

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2016

आदेश

क्रमांक एफ 5-12/2002/10-2. — राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक संकल्प दिनांक 28-07-2004 में किए गए संशोधन दिनांक 28-03-2016 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन औषधि बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर श्री रामप्रताप सिंह, जशपुर एवं उपाध्यक्ष के पद पर डॉ. जे. पी. शर्मा, रायपुर, को नियुक्त करता है. बोर्ड के शेष अन्य सदस्य यथावत् रहेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2016

आदेश

क्रमांक एफ 5-12/2002/10-2. — विभागीय समसंख्यक संकल्प दिनांक 28-07-2004 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन औषधि बोर्ड का गठन किया गया है. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त संकल्प की कंडिका-3 में गठित बोर्ड की संरचना में आंशिक संशोधन करते हुए सरल क्रमांक-1 पर अंकित अध्यक्ष के पद एवं सरल क्रमांक-2 पर अंकित उपाध्यक्ष के पद पर, शासन द्वारा नामांकित व्यक्तियों/पदाधिकारियों की नियुक्ति आदेशित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.